

## अनुषंगी कंपनियों के लिए सामग्री निर्धारण के लिए नीति

### 1. नीति की आवश्यकता और उद्देश्य:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने 02 सितंबर, 2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ श्रेणीबद्ध करने के लिए कॉर्पोरेट अधिशासन पर सूचीबद्ध समझौते के संशोधित खंड 49 के प्रावधानों को शामिल करते हुए एक विस्तृत सेबी (एलओडीआर) विनियमों को अधिसूचित किया है। नया विनियमन आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 90वें दिन अर्थात् 01 दिसंबर, 2015 से सूचीबद्ध समझौते के स्थान पर लागू होगा। सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 16 (सी) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई 'भौतिक' अनुषंगी कंपनी निर्धारित करने के लिए एक नीति तैयार करेगी। हमारा बैंक 01 मार्च 2007 से एक सूचीबद्ध संस्था है।

तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक की "भौतिक अनुषंगी संस्था" बैंक के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित नीति और प्रक्रियाओं को अपनाया है।

परिभाषा :

<b>बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)</b>	"लेखापरीक्षा समिति" का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में और राष्ट्रीयकृत बैंकों के (प्रबंधन और विविध प्रावधान) के अनुपालन में योजना, 1970/1980 में गठित बैंक के निदेशक मंडल की समिति और सूचीबद्ध समझौता / सेबी (एलओडीआर) विनियमों के प्रावधान।
<b>बोर्ड</b>	"बोर्ड" का अर्थ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 9 (3) के अनुसार गठित बैंक का निदेशक मंडल है।
<b>सब्सिडरी / अनुषंगी</b>	अनुषंगी" का अर्थ है एक कंपनी - (i) जिनमें से बैंक निदेशक मंडल के ढांचे को नियंत्रित करता है; या (ii) जिसमें बैंक कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक का प्रयोग या नियंत्रण स्वयं या अपनी एक या एक से अधिक अनुषंगी कंपनियों के साथ करता है। कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना को बैंक द्वारा नियंत्रित माना जाएगा, अगर बैंक अपने द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुछ शक्ति का प्रयोग करके अपने विवेक से सभी निदेशकों या अधिकांश निदेशकों को नियुक्त या हटा सकता है।
<b>आवश्यक लेन-देन या व्यवस्था</b>	"आवश्यक लेन-देन या व्यवस्था" का अर्थ किसी भी व्यक्तिगत लेनदेन या व्यवस्था से होगा जो कुल राजस्व या कुल व्यय या कुल संपत्ति या कुल देनदारियों जैसा भी मामला हो के दस प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है, असूचीबद्ध भौतिक अनुषंगी कंपनी के लिए।
<b>नीति</b>	"नीति" का अर्थ है "भौतिक अनुषंगी" निर्धारण हेतु नीति"

### 3. नीति :

**3.1.** एक " भौतिक अनुषंगी" का अर्थ एक अनुषंगी कंपनी होगा जिसकी आय या निवल मूल्य क्रमशः पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में बैंक और उसकी अनुषंगी कंपनियों की समेकित आय या निवल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक है ।

**3.2.** बैंक के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक भारत में निगमित गैर-सूचीबद्ध भौतिक अनुषंगी कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक होगा।

**3.3.** बैंक की लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों की भी समीक्षा करेगी, विशेष रूप से, गैर-सूचीबद्ध भौतिक अनुषंगी द्वारा किए गए निवेशों की ।

**3.4.** असूचीबद्ध भौतिक अनुषंगी कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त को बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में रखा जाएगा ।

**3.5.** सभी उल्लेखनीय लेनदेन और गैर-सूचीबद्ध भौतिक अनुषंगी कंपनी द्वारा की गई व्यवस्थाओं का विवरण, गैर-सूचीबद्ध भौतिक अनुषंगी कंपनी का प्रबंधन समय-समय पर बैंक के निदेशक मंडल के ध्यान में लाएगा ।

3.6 बैंक अपनी भौतिक सहायक कंपनियों में शेयरों का निपटान नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इसकी शेयरधारिता (या तो अपने स्वयं से या अन्य सहायक कंपनियों के साथ मिलकर) पचास प्रतिशत से कम हो जाएगी या इसके आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किए बिना सहायक कंपनी पर नियंत्रण करना अभ्यास बंद कर देगा। उस मामले को छोड़कर जहां इस तरह के विनिवेश को अदालत/अधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित समझौता योजना के तहत किया जाता है।

**3.6.** एक वित्तीय वर्ष के दौरान सकल आधार पर भौतिक अनुषंगी कंपनी की संपत्ति के बीस प्रतिशत से अधिक की संपत्ति की बिक्री, निपटान और पट्टे पर देने के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी, जब तक कि न्यायालय/अधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत बिक्री/निपटान/पट्टा नहीं किया जाता है ।

**3.7.** जहां बैंक की एक सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनी है जो स्वयं एक धारक कंपनी है, जहां तक इसकी अनुषंगी कंपनियों का संबंध है, ये प्रावधान सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों पर लागू होंगे ।

**3.9** कॉ.का: अनुषंगी विभाग नीति का अभिरक्षक होगा, जो हर साल बैंक की सामग्री अनुषंगी कंपनियों की समीक्षा और निगरानी करेगा और एसीबी और बोर्ड को रिपोर्ट करेगा ।

### प्रकटीकरण :

उक्त नीति को बैंक की वेबसाइट पर प्रकटीकरण किया जाएगा। बोर्ड समय-समय पर नीति की समीक्षा और संशोधन कर सकता है।